M.P.	(C.L.)-Job	9-2,00,000-	-4-4-2019-	-www.mcdonline.gov.in	
------	------------	-------------	------------	-----------------------	--

M.P. (C.L.)—Job 9—2,00	,000-4-4-2019-	-www.m	cdonline	e.gov.in	l						R	2	
иww.mcdpropertytax.in	उत्तरी दिल्ली नगर निगम NORTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION स्वयं सम्पत्ति–कर निर्धारण फॉर्म SELF ASSESSMENT PROPERTY TAX FORM वित्त वर्ष 2019–20 F.Y. 2019-20								कॉलोनी का नाम/Colony Name				ame
	तथ्यों को छुपाने और गलत गणना के लिए दिल्ली नगर निगम (संशोधित) अधिनियम, 2003 में दण्ड का प्रावधान है। Penal Provisions in DMC (Amendment) Act, 2003 exist for Wrong Calculation and Concealment of Facts									Receipt की तिथि			eipt
1. खाता पृष्ठ सं० Ledger Folio No.       कृपया निर्धारण की जाने वाली सम्पत्ति का खाता (यदि उपलब्ध नहीं है, तो लागू नहीं लिखें) Please enter the Ledger Folio No. of the Property (write N/A, if not available)         2. पंजीकरण सं०/यू पी आई सी Registration No./UPIC       एकमात्र पहचान कोड/सम्पत्ति आई.डी. सं. {सभी विद्यमान पंजीकृत जरूरी  } कृपया अपनी पंजीकरण सं.							ty being त ऑनल	Assesse गइन प्रयो	d, if av	ailable में के लिए			
					istration N		No. {	Mandator	y for all ex	isting reg	gistered (	online u	sers.}
3. सम्पत्ति का प्रकार Type of Property								c	  नुलग्नक fer to <b>Ann</b>				कल्प चुनें। ne option.
यदि सम्पत्ति का प्र If Type of Property यदि सम्पत्ति एक ज Please Tick in the <i>(केवल डी.डी.ए.</i> (Applicable only	r is Residential— ननता फ्लैट है, त box, if the prope आवास के लिए	-Plotted, गे कृपया erty is a <i>लागू । व</i>	then ple खाने में Janta Fla ग्रीकरण	ease tic निशान at <i>के विव</i>	k one opti ालगायें <i>तरण के दि</i>	on नेए <b>अनुल</b>	ग्नक	Kothi∕\ <b>′बी</b> ′ देंखें	खाली प्लॉक /acant Ploi		निर्मित Builder		
4. स्वामी का प्रकार* Type of Owner*							कृपया <b>अनुलग्नक 'सी'</b> को देखें। केवल एक विकल्प चुनें। Please refer to <b>Annexure-C</b> . Choose only one option.						
5. सम्पत्ति मालिक/ Property Owners		उसके Name	लिए ३	भनुलग्न perty (	क संलग्न <b>Dwner/s</b> (	करें।)			के लिए द or the sam				
नाम (प्रथम नाम ⁄ मध्य नाम, उपनाम) कम्पनी का न संगठन इत्यादि* Name (First Name, Middle Name, Surname)/Name o Organisation etc.*					mpany/	लिं पु०⁄ Gen M/	स्त्री० der	1. वरिष्ठ 2. महिल, सांझे 3. शारीर्ग <b>Type</b> 1. Senic 2. Owne the e	<b>का प्रकार</b> ( नागरिक (6 र स्वामी / मी पर विस्तार के विकलांग of Rebate or Citizen (6 ed by Wom xtent of he ically Chal	<i>0 वर्ष अर्थे</i> हेला द्वारा (If applic 50 yrs. or en/Woma er own sh	त्रा अधिक) अपने able) more) ın to	(चालू 30 (a 30th C	आयु जून को) Age as on June of urrent icial Year)

\* यह एक जरूरी खण्ड/क्षेत्र है जिसे भरा जाना है तथा खाली छोड़ा नहीं जा सकता है। \* This is a mandatory section/field which has to be filled and cannot be left blank.

[1(NDMC)]

6. Property Identification Details* सम्पत्ति का विवरण / पता भरें जिसके लिए कर का भुगतान किया जा रहा है। यदि आपकी कॉलोनी का नाम सहायक / कर निर्देशिका में नहीं है, तो अपने अति निकटतम कॉलोनी और उसकी श्रेणी को भरें। पते के कॉलम में अपनी कॉलोनी का नाम भरें। Enter the property detail/address for which the tax is being paid. If your Colony Name is no the Help/Tax Guide, then please enter the Highest Neighbouring Colony and its Category. the Name of your Colony in Address column.						lony Name is not in	
	ात्ति∕मकान सं.* House Number*						
	पता* Address*						
(सहायक/कर निर्देशि	ॉलोनी का नाम* रोका के संदर्भ में) Colony Name* a Help/Tax Guide)						
	श्रेणी*		कॉलोनी ब्र	न्म सं.*		पिन कोड	
	Category*		Colony Se	rial No.*		Pin Code	
	क्षेत्र का नाम* Zone Name*						
7. पत्राचार का पर Corresponden							
	पत्ति / मकान सं. /House Number						
	पता Address						
						Pin Code पिन कोड	
दूरभाष सं. Phone No.			ोबाइल सं. lobile No.				
ई—मेल E-mail							
फार्महाउस का	hi/Bungalow/Farm						
	<b>क</b> . प्लॉट/भूमि का क्षेत्र <i>(वर्ग मी. में)</i> 1 वर्ग गज = 0.8361 वर्ग मीटर, 1 वर्ग फुट = 0.0929 वर्ग मीटर						

ख.भूतल पर बना हुआ निर्मित क्षेत्र (वर्ग मी. में)8B.Built-Up/Constructed area on the Ground Floor\* (in Sq. metres)ग.बने हुए निर्मित क्षेत्र का प्रतिशत (8ख को 8क द्वारा भाग) × 1008C.Percentage Area Built-Up/Constructed\* (8B divided by 8A) x 100

नोट :- यदि 8ग 25% अथवा अधिक है और प्लॉट का शेष क्षेत्र किसी लाभ के लिए /व्यावसायिक गतिविधि के लिए प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो बिन्दु 9 पर जाएं अन्यथा 8घ से जारी। Note : —If 8C is 25% or more and the balance area of the plot is not being used for any profitable/commercial activity, then go to Point

Note : —If 8C is 25% or more and the balance area of the plot is not being used for any profitable/commercial activity, then go to Point 9 otherwise continue to 8D.

\* यह एक जरूरी खण्ड/क्षेत्र है जिसे भरा जाना है तथा खाली छोड़ा नहीं जा सकता है। \* This is a mandatory section/field which has to be filled and cannot be left blank.

[2(NDMC)]

घ. 8D.	यूनिट एरिया मूल्य* <i>(अनुलग्नक 'घ' के संदर्भ में)</i> Unit Area Value* <i>(Refer to Annexure-D)</i>		रु. Rs.
ड़. 8E.	खाली भूमि प्रयोग घटक* <i>(अनुलग्नक 'एच' के संदर्भ में)</i> Vacant Land Use Factor* <i>(Refer to Annexure-H)</i> (i)		
	(ii)	प्रयोग घटक Use Factor	
च्. 8F.	कब्जा घटक (अनुलग्नक 'आई' के संदर्भ में) Occupancy Factor* (Refer to Annexure-I) (i)	प्रकार Type	
	(ii)	ਬਟक Factor	
ਚ. 8G.	वार्षिक मूल्य* (8क – 8ख) x 8घ x 8ड़ (ii) x 8च. (ii) x 0.3 Annual Value* ( <i>8A – 8B) x 8D x 8E (ii) x 8F (ii) x 0.3</i>		
ज. 8H.	कर की दर प्रतिशत* <i>(अनुलग्नक ´ई´ के संदर्भ में)</i> Rate of Tax %* <i>(Refer to Annexure-E)</i>		
झ. 81.	छूट श्रेणी, यदि लागू हो <i>(अनुलग्नक 'के' के संदर्भ में)</i> Exemption Category, if applicable (Refer to Annexure-K)		
ञ. 8J.	खाली भूमि वार्षिक कर (8छ x 8ज x 8झ) 100 द्वारा भाग देने पर Vacant Land Annual Tax <i>(8G x 8H x 8I) divided by 100</i>		<b>रु</b> . Rs.
٩	भवन विवरण और कर गणना * सभी प्रकार की निर्मित सम्पत्तियों के वि	ण लाग । पत्रोक तल का	विवरण अलग लाइनों में भरें। यदि

9.		विवरण और ng Details a lation			<ul> <li>सभी प्रकार की निर्मित सम्पत्तियों के लिए लागू। प्रत्येक तल का विवरण अलग ला जरूरी हो अनुलग्नक लगायें।</li> <li>Applicable for all type of built up properties. Enter each floor details in separate Annexure if required.</li> <li>गणना करने पर यदि कोई वैल्यू खाली है, तो 1(एक) के साथ बदलें। While Calculating if any value is BLANK, then replace with 1 (one).</li> </ul>								
तल सं. Floor No.*	रुपये / वर्ग मी. अनुलग्नक 'डी' के	1 वर्ग फुट =	ें के संख Age F	ाक 'एफ' दर्भ में) actor* əfer	ढांचा घटक* (अनुलग्नक 'डी' के संदर्भ में) Structure Factor* (Refer AnnexG)	प्रयोग Use Fa (Re Anne	actor*	(अनुलग्न के सं Occu Fac (Ri Ann	घटक* तक आई दर्भ में) pancy stor* efer ex1)	वार्षिक मूल्य* (9ख x 9ग x 9ड़ x 9च x 9ज x 9ञ) Annual Value* (9B x 9C x 9E x 9F x 9H x 9J)	कर की दर प्रतिशत अनुलग्नक 'ई' के संदर्भ में) Rate of Tax % (Refer Annex E)	के संदर्भ में) यदि लागू नहीं है तो मूल्य 1 रखें	वार्षिक कर (9ट x 9ट x 9ड को 100 द्वारा भाग) Annual Tax
	संदर्भ में Unit Area Value* Rs./Sq. metres (Refer Annex D)	0.0929 arf #1: <b>Covered/</b> <b>Super Area*</b> (in Sq. metres) 1 Sq. yard = 0.8361 Sqm. 1 Sq.foot = 0.0929 Sq. metres	का वर्ष Year of Const.	ਬਟਰ Age Factor		घटक आई डी Factor ID	प्रयोग घटक Use Factor	प्रकार Type	ਬਟਰਾ Factor			Exemption Category (If Appli-cable) Refer AnnexK (if not applicable put value as 1)	(9K x 9L x 9M Divided by 100)
9क	9ख	9ग	9घ	9ड	9च	9छ	9ज	9झ	9ञ	<u>9</u> ट	<b>9</b> उ	<u>9</u> ड	9ढ़
9A	9B	9C	9D	9E	9F	9G	9H	91	9J	9K	9L	9M	9N
				-									

(तल सं. : तहखाना = -1, भूतल = 0, प्रथम तल = 1, द्वितीय तल = 2, तृतीय तल = 3 इत्यादि मियानी को तल के तौर पर मानते हुए) (Floor Number : Basement = -1, Ground Floor/Stilt Parking = 0, First Floor = 1, Second Floor = 2, Third Floor = 3 etc. Consider Mezzanine as a floor)



[3(NDMC)]

10.	कुल वार्षिक मूल्य* (8छ अं Total Annual Value* (Total			11.	कुल वार्षिक कर (9ढ़ तथ Total Annual Tax (Total d	-
12.	छूट गणनावरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और शारीरिक विकलांगों जो स्वयं कब्जाधारी हैं और आवासीय प्रयोग के लिए स्वामित्वRebate Calculationवाली 100 वर्ग मी. तक आच्छादित क्षेत्र वाली एकल सम्पत्ति के लिए छूट लागू।Rebate applicable for Single property upto 100 Sq. metres covered area (on pro-rata basis) owned by Senior Citizen, Woman and Physically Challenged which is Self-Occupied for Residential use.					
क. 12A.	यदि आच्छादित क्षेत्र 100 व If CA is less than 100 Sq. r		(यदि लागू है)		कर (9ढ़ का कुल) x 0.3 ual Tax (Total of 9N) x 0.3	रु. Rs.
	यदि आच्छादित क्षेत्र 100 व If CA is more than 100 Sq.		: छूट राशि = व 100 x 0.3 / कु	ल आच <i>= Ann</i>	छादित क्षेत्र ual Tax (Total of 9N) x	रु. Rs.
ख. 12B.	एकमुश्त कर भुगतान के त For Taxpayer under One T यदि आच्छादित क्षेत्र 100 वग If CA is less than 100 Sq. r यदि आच्छादित क्षेत्र 100 वग If CA is more than 100 Sq.	'ime Tax Payment A  र्गमी. से कम है : netres : र्गमी. से अधिक है :	pplicable Rebate छूट राशि = व (यदि लागू है) Rebate Amount (If Applicable) छूट राशि = व कुल आच्छादित	ार्षिक व = Ann ार्षिक व क्षेत्र = Ann	कर (15घ) x 0.3 nual Tax (15D) x 0.3 कर (15घ) x 100 x 0.3 ∕ nual Tax (15D) x 100 x 0.3∕	ন্চ. Rs. ন্চ. Rs.
क.	छूट का विवरण Exemption Details 8छ तथा 9ट से उत्पन्न हुए			01()		<u>ড</u> .
13A. 14.	Service Charges (अनुल	ए लागू : <i>संघीय सम</i> ग्नक 'के' के संदर्भ)	पत्तियां (दि.न.नि. उ	भधिनिय	म के अध्याय—119 का संदर्भ) DMC Act) or Public Charity P	
क. 14A.	सम्पत्ति कर का 75% की दर से सेवा शुल्क (यदि एक संघीय सम्पत्ति किसी अनुमोदित अथवा अनधिकृत नियमित कॉलोनी में स्थित है) Service Charge @ 75% of Property Tax (If a Union Property is situated in any approved or unauthorised regularized colonies)					
ख. 14B.	सम्पत्ति कर का 50% की दर से सेवा शुल्क (यदि एक संघीय सम्पत्ति उपर्युक्त के अलावा शहरीकृत <b>रु</b> . गाँवों, अनधिकृत कॉलोनियों, ग्रामीण गाँवों आदि सहित कॉलोनी में स्थित है)					
ग. 14C.	सम्पत्ति कर का 75% की द Service Charge @ 75% of I					रु. Rs.
घ. 14D.	कुल कर ⁄ सेवा शुल्क [14क (यहां से आगम 18 तक के f Total Tax/Service Charge (14 payment details)	लेए भुगतान विवरण)		-	oceed to 18M for	रु. Rs.

(सेवा शुल्कों पर छूट लागू नहीं है) (No Rebate is admissible on Service Charges)

> \* यह एक जरूरी खण्ड/क्षेत्र है जिसे भरा जाना है तथा खाली छोड़ा नहीं जा सकता है। \* This is a mandatory section/field which has to be filled and cannot be left blank.

[4(NDMC)]

15.		श्त कर भुगतान Time Tax Payme	ent ₹/ Aj	न् 198 pplical	36 से परिवर्तन नहीं ble for Properties e	ग के तहत छूट प्राप्त सम्पत्तियां जिनव किया गया है, के लिए लागू xempted under One Time Tax Paymen ten changed since 1986 (Refer Section	nt Scheme whose use, structure
क. 15A.					एकमुश्त कर भुगतान hich the One Time Ta		रु. Rs.
ख. 15B.							<b>ক</b> . Rs.
ग. 15C.		जी दर % (अनुलग्ज of Tax % <i>(Refer</i>		रु. Rs.			
घ. 15D.		5 कर {(15ख X 1 al Tax {(15B x 15	,		-		रु. Rs.
16. बकाया कर⁄सेवा शुल्क और इस पर ब्याज Arrears of Tax/Service Charges and Interest thereo				था, व सहाय Appli part o	ही देय तिथि के बाद 15 1क∕कर निर्देशिका को cable if you have any	I arrears or interest to be paid. Interest is due date of each quarter in which the tag	सूली योग्य है। ब्याज गणना के लिए s chargeable @1% per month or
		वर्ष Year	राशि Amou		ब्याज Interest	जुर्माना (लगाया गया, यदि कोई हो) Penalty (Levied, if any)	कुल Total
	क. 16A.	2004 से पहले Before 2004					रु. Rs.
ख./	16B.	2004-2005					रु. / Rs.
ग. /	16C.	2005-2006					रु. <b>/ Rs.</b>
घ./	16D.	2006-2007					रु. <b>/ Rs.</b>
ड़./	16E.	2007-2008					<b></b> ফ. / Rs.
च./	16F.	2008-2009					रु. / Rs.
ন্থ /	16G.	2009-2010					रु. ∕ Rs.
ज. /	16H.	2010-2011					रु. / Rs.
झ. /	⁄ 16I.	2011-2012					रु. / Rs.
ञ./	′16J.	2012-2013					रु. <b>/ Rs.</b>
र./	16K.	2013-2014					रु. <b>/ Rs.</b>
र./	16L.	2014-2015					रु. <b>/ Rs.</b>
ड <u>.</u> / '	16M.	2015-2016					रु. / Rs.
ढ़./	16N.	2016-2017					रु. / Rs.
ण./	160.	2017-2018					रु. / Rs.
त्./	16P.	2018-2019					रु. / Rs.
	थ. 16Q.	कुल योग Grand Total					<b>হ</b> . Rs.

\* यह एक जरूरी खण्ड/क्षेत्र है जिसे भरा जाना है तथा खाली छोड़ा नहीं जा सकता है। \* This is a mandatory section/field which has to be filled and cannot be left blank.

[5(NDMC)]

17.	2018—19 के लिए भुगतान विवरण Payment Details for 2018-19							
क. 17A.	रसीद सं. Receipt No.	ख. 17B.	प्राप्ति तिथि Receipt Date		ग. 17C.	भुगतान व Amount		रु. Rs.
*18.	8. वर्ष 2019–20 के लिए भुगतान विवरण     सभी के लिए लागू       Payment Details for 2019-20     Applicable for all							
क. 18A.	11 या 15घ पर कुल वार्षिक कर गणनारू.Total Annual Tax Calculated at 11 or 15DRs.							
ख. 18B.								
ग. 18C.	कर राशि (18क–18ख) Tax Amount (18A – 18B)	T		1			रु. Rs.	
घ. 18D.	भुगतान की प्रकृति* (कृपया एक पर निशान लगायें) Nature of payment <i>*(Please Tick one)</i>		ज्मुश्त (क्रम सं. 18ड़ से लगातार) mp sum <i>(Continue to Point 18E</i> )			<u> </u>		से लगातार) to Point <b>18 I</b> )
ड़. 18E.	छूट (यदि 30 जून, 2019 को अथवा पह REBATES (Applicable if paying in Lum						• •	
	(ए) 18ग का 15% एकमुश्त भुगतान छू (a) Lump sum Payment Rebate <b>15%</b>		c				रु. Rs.	
	<ul> <li>(बी) [18ग–18ड़(ए) का 20%] केवल को–ऑपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी के मामले में एकमुश्त भुगतान पर अतिरिक्त छूट</li> <li>(b) Additional rebate on Lump sum payment in case of Cooperative Group Housing Societies only 20% of [18C – 18E(a)]</li> </ul>							
	(सी) केवल दि.न.नि. के सहायता प्राप्त र का 90%] अतिरिक्त छूट (c) Additional rebate on Lump sum pa 90% of [18C – 18E(a)]			-			रु. Rs.	
	कुल छूट (ए + बी + सी) Total of Rebates (a + b + c)						रु. Rs.	
च. 18F.	वर्ष 2019–20 के लिए ब्याज <i>(चालू वर्ष</i> Interest for <b>2019-20</b> <i>(applicable for payl</i>			ण लागू)			रु. Rs.	
ਾ <u>छ.</u> 18G.	कर एरियर (यदि देयता हो) 16ढ पर Tax Arrears (If payable) at 16N						रु. Rs.	
ज. 18H.	कुल कर देय (18ग + 18च + 18छ - Net Tax Payable 18C + 18F + 18G - 1		ड <b>़)</b>				रु. Rs.	
झ. 18I.	कुल कर देयता यदि तिमाही भुगतान Net Tax Payable if paying Quarterly			่ + 18छ	5)		रु. Rs.	
ञ. 18J.	कुल कर देयता (शब्दों में*) रु. Net Tax Payable in Words* Rs.							

\* यह एक जरूरी खण्ड/क्षेत्र है जिसे भरा जाना है तथा खाली छोड़ा नहीं जा सकता है। \* This is a mandatory section/field which has to be filled and cannot be left blank.

[6(NDMC)]

ट.	यदि तिमाही भुगतान किया	प्रथम तिमाही	द्वितीय	तिमाही	तृतीय f	तेमाही		चतुर्थ तिमाही	
	गया है <i>(कृपया एक पर</i>	30 जून, 2019 की	30 सितम्बर, 2	019 की	31 दिसम्बर, 201	19 की	31	मार्च, 2020 की	
	निशान लगायें)	समाप्ति पर	सम	ाप्ति पर	समारि	प्ते पर		समाप्ति पर	
18K.	If paying Quarterly (Please Tick One)	1st Quarter ending 30 June, <b>2019</b>	2nd ending 30 Sep	Quarter t., <b>2019</b>	3rd Qu ending 31 Dec.,		ending	4th Quarter 31 Mar., 2020	
र.	भुगतान का प्रकार*								
	(कृपया एक पर			*	0				
	निशान लगायें)	नकद		चैक	डिमान्ड	~			
18L.	Mode of Payment* (Please Tick One)	Cash		Cheque	Demend	enu Dratt			
ङ. *18M.	ङ. चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट का विवरण (यदि आपने विकल्प 18ठ में चैक अथवा डिमान्ड ड्राफ्ट को चुना है तो लागू) कृपया चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट को 'आयुक्त, उत्तरी दि.न.नि.'' के पक्ष में क्रॉस करें । चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट के पीछे मालिक का नाम, फोन नम्बर तथा सम्पत्ति का पूरा पता भी लिखें।								
	क∕डीडी (i) संख eque/DD (i) Nur	(ii) तिथि (ii) Date		(iii) (iii)	बैंक का Bank N				
· · ·	ाखा का नाम Branch Name			(v) खाता (v) Accou	संख्या int Number				

## \*घोषणा एवं सत्यापन : \*DECLARATION & VERIFICATION :

Certified that \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_sq. mtr. area as per the Annual Property Tax Return has been carried out as Addition/ Alteration/Renovation in the year \_\_\_\_\_\_\_.

मैं सत्यापित करता हूँ कि इस फॉर्म में भरे गये विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और सही हैं तथा मैं इस फॉर्म पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हूँ। मैं दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (यथा—संशोधित) के दण्ड प्रावधानों से अवगत हूँ जो जानबूझकर और प्रलोभन में झूठे और असत्य विवरणों को प्रस्तुत करने के विरुद्ध हैं।

I certify that the particulars filled in this form are true and correct to the best of my knowledge and I am authorized to sign this form. I am aware of the penal provisions of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (as amended) which are attracted on wilful suppression and submission of false and incorrect particulars.

नाम : तिथि : Name : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर :	
Signature :	

\* यह एक जरूरी खण्ड ⁄ क्षेत्र है जिसे भरा जाना है तथा खाली छोड़ा नहीं जा सकता है। \* This is a mandatory section/field which has to be filled and cannot be left blank.

[7(NDMC)]

## छूट एवं रियायतें ः Rebates :

- (1) www.mcdpropertytax.in पर उपलब्ध कराए गए भुगतान गेटवे के माध्यम से ऑनलाईन सम्पत्ति कर रिटर्न भरने तथा सम्पत्ति कर का भुगतान करने वाले करदाताओं के लिए, धारा 114बी एवं 123बी(3) अथवा अन्यथा के अन्तर्गत सभी योग्य छूट (डिस्काउंट) के बाद देय कर का 2 प्रतिशत प्रोत्साहन के रूप में समझा जा सकता है बशर्ते कि अधिकतम कर 10,000 / − रुपये से अधिक नहीं है।
- (1) Additional rebate of 2% of the tax payable after all eligible discounts U/s 114B and 123B(3) or otherwise as incentive for the taxpayers filing the property tax returns online and making property tax payments online through the payment gateway provided on <u>www.mcdpropertytax.in</u> subject to maximum tax not exceeding Rs. 10,000/-.
- (2) धारा 123बी(3) के तहत् समय पर भुगतान करने पर छूट :
- (2) Rebate U/s 123B(3) for timely payment of tax in lump sum :
  - (i) वर्ष की प्रथम तिमाही (अर्थात् जून से) के दौरान देय कर की एक किश्त में एकमुश्त भुगतान की गई राशि पर कर की 15 प्रतिशत की दर से छट होगी।
  - (i) A payment of the tax due in lump sum in one installment for the FY by 30th June of that FY shall entitle one to a rebate of 15% of the total tax amount due.
  - (ii) तिमाही किश्तों में किये गये भुगतानों पर कोई छूट नहीं दी जाएगी।
  - (ii) No rebates would be given on payment in quarterly installments.
  - (iii) प्रत्येक तिमाही जिसमें कर देय था, की तिथि के पश्चात् भुगतान करने पर 1 प्रतिशत प्रतिमाह अथवा माह के उस हिस्से की दर से साधारण ब्याज लिया जायेगा।
  - (iii) Late payment shall invite interest @ 1% per month or part of the month after the due date of each quarter in which the tax is due.
- (3) धारा 114बी के अन्तर्गत छूट :--100 वर्ग मीटर तक के आच्छादित क्षेत्र (यथा--अनुपात आधार पर) तक की एकल सम्पत्ति के लिए, जो रिहायशी प्रयोग हेतु स्वअधिभोग में है, और वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष अथवा अधिक), महिला (उसके अपने हिस्से की सीमा तक) और शारीरिक रूप से विकलांग के स्वामित्व में है, के लिए 30 प्रतिशत छूट अनुमत होगी।
- (3) Rebate U/s 114B :—A rebate of 30% of tax due on the covered space of such building (on pro rata basis) shall be allowed upto the covered space of 100 sq. mtrs. to persons of eligible categories, i.e. senior citizens (60 years or more), women (irrespective of her age) or physically challenged persons (irrespective of age) singly or jointly owned by any of these categories and such rebate shall be only for one property in NCTD.
- (4) को-ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज की सम्पत्तियों के मामले में एकमुश्त भुगतान करने पर 20 प्रतिशत की छूट अनुमत होगी।
- (4) Additional rebate of 20% of the tax due on lump sum payment in cases of properties in Co-operative Group Housing Societies (CGHS).
- (5) सरकार / स्वायत्त निकायों द्वारा स्वामित्व की सम्पत्तियों, अनुदान प्राप्त विद्यालयों के मामले में एकमुश्त भुगतान करने पर 90 प्रतिशत की छूट अनुमत होगी।
- (5) Additional rebate of 90% on lump sum payment in case of only MCD aided schools.

Make Payment :

In favour of

(Commissioner, North Delhi Municipal Corporation)

\* यह एक जरूरी खण्ड ⁄ क्षेत्र है जिसे भरा जाना है तथा खाली छोड़ा नहीं जा सकता है। \* This is a mandatory section/field which has to be filled and cannot be left blank.

[8(NDMC)]